

**हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास विद्युत मण्डल एस0डी0ए0 कम्पलैक्स शिमला के
लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 4/2014 से 3/2015 तक

भाग—एक

1 (क) प्रस्तावना

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम-2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: एच0एस0जी0-4(डी)1-1/92/2, दिनांक 13.9.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल शिमला-9 के लेखाओं अवधि 4/14 से 3/15 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री बी0के0 त्रिवेदी, अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	दिनांक 31.3.2015 तक स्टॉफ अग्रिम समायोजन हेतु शेष	4(क)	4.45
2	विविध अग्रिम का समायोजन न करना	4(ख)	3.85
3	सुरक्षित अग्रिमों की लम्बे समय से वसूली न करना	5	20.99
4	निक्षेप कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	6	5137.33
5	संविदाकार को कार्य समाप्ति से पूर्व भुगतान करने बारे	7	4.63
6	संविदाकार के बिल से संवैधानिक कटौतियां न करने बारे	8	2.22
7	वाहनों की ईंधन खपत निर्धारित माप दण्डों से कम होने के फलस्वरूप वित्तीय हानि	10	1.74

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट—“क”** में दर्शाई गई है। उक्त परिशिष्ट में निम्न विवरणानुसार 58 पैरे अनिर्णीत हैं।

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या
1	4 / 1992 से 3 / 1993	1
2	4 / 1995 से 3 / 1996	1
3	4 / 1997 से 3 / 1998	1
4	4 / 1998 से 3 / 1999	1
5	4 / 1999 से 3 / 2000	1
6	4 / 2000 से 3 / 2001	2
7	4 / 2001 से 3 / 2002	2
8	4 / 2002 से 3 / 2003	1
9	4 / 2003 से 3 / 2004	3
10	4 / 2004 से 3 / 2005	2
11	4 / 2005 से 3 / 2006	5
12	4 / 2006 से 3 / 2007	2
13	4 / 2007 से 3 / 2008	4
14	4 / 2008 से 3 / 2009	6
15	4 / 2009 से 3 / 2010	8
16	4 / 2010 से 3 / 2011	5
17	4 / 2011 से 3 / 2012	5
18	4 / 2012 से 3 / 2013	4
19	4 / 2013 से 3 / 2014	4
कुल योग		58

अतः अधिशासी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास विद्युत मण्डल शिमला-9 उपरोक्त अनिर्णीत ऑडिट पैरों में अपेक्षित कार्रवाई करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल शिमला के लेखों अवधि 4/14 से 3/15 तक का अंकेक्षण कार्य श्री राम सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा श्री पी0एस0 कंवर, उप निदेशक (अंकेक्षण) स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-09 के पर्यवेक्षण में दिनांक 26.11.2014 से 21.12.2015 तक एस0डी0ए0 कम्पलैक्स शिमला में किया गया। माह 12/2014 के लेखाओं का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है। अनुवर्ती पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल, शिमला के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख तथा सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं के गलत एवं अपूर्ण होने की अवस्था में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क

उक्त संस्था के अवधि 4/2014 से 3/2015 तक के अंकेक्षण शुल्क की गणना तथा मांग अलग से की जाएगी।

4 स्टाफ अग्रिम तथा विविध अग्रिम की असमायोजित राशियों के बारे में

(क) दिनांक 31.3.2015 तक स्टाफ अग्रिम राशि ₹4.45 लाख समायोजन हेतु शेष

अधिशायी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल शिमला द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2015 तक स्टाफ को दिए गए अग्रिमों की राशि ₹4,45,173 का समायोजन लम्बित था जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	दिनांक 31.3.2015 तक असमायोजित अग्रिम की राशि (₹) में
1	श्रीमती रजनी दुगल	सहायक अभियन्ता	759
2	श्री नरेश कुमार	सहायक अभियन्ता	(-) 15,576
3	श्री के0एन0 भल्ला	सहायक अभियन्ता	20,000
4	श्री सुरेन्द्र कुमार	चालक	64,698

5	श्री राजेन्द्र पाल	चालक	3,28,534
6	श्री सुरेन्द्र सिंह	चालक	30,144
7	श्री दुनी चन्द	चालक	(-) 1,952
8	श्री दिनेश कुमार	चालक	(-) 6,027
9	श्री नन्द लाल	चालक	1,410
10	श्री नरेश कुमार	चालक	1,060
11	श्री दुर्गा दास	चालक	9,560
12	श्री सुरेश सुमन	चालक	(-) 787
13	श्री जगदीप कुमार	चालक	(-) 40,351
14	श्री सुरेश कुमार	चालक	(-) 10,184
15	श्री सुनील कुमार	क्लीनर	2,106
16	श्री रमेश कुमार	चालक	22,195
17	श्री प्रकाश चन्द	चालक	20,001
18	श्री मनोहर लाल	चालक	8,583
19	श्री दुर्गा राम	चालक	1,000
20	श्री विश्व मित्र	चालक	10,000

कुल योग ₹4,45,173

प्रशासन हिमुडा विद्युत मण्डल शिमला द्वारा अग्रिम राशियों के समायोजन हेतु गम्भीरता से कार्यवाही नहीं की गई उक्त विवरणानुसार कुछ एक कर्मचारियों के पास गत कई वर्षों से काफी अधिक राशियाँ समायोजन हेतु शेष थी। जिनकी वसूली हेतु शीघ्र एवं ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाए ताकि अग्रिम राशियों का समायोजन शीघ्र सुनिश्चित हो सके अन्यथा अग्रिम राशियों की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से पैनल ब्याज सहित की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) दिनांक 31.3.2015 तक विविध अग्रिम राशि 3.85 लाख समायोजन हेतु शेष

अधिकांशी अभियन्ता, विद्युत मण्डल हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण शिमला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2015 तक विविध अग्रिमों की राशि ₹3,85,988.40 समायोजन हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं०	कर्मचारी/संस्था का नाम	दिनांक 31.3.15 करे असमायोजन हेतु बकाया
1	निदेशक, रूरल हाऊसिंग विंग शिमला	4,794.55

2	निदेशक, आर0आई0डी0 शिमला	5,775.20
3	एम0डी0 (एच0पी0एम0सी0) शिमला	950.55
4	निदेशक, इण्डस्ट्रीज शिमला	369.60
5	इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग शिमला	721.50
6	श्री दिनेश कुमार, चालक	23,874.00
7	श्री सुरेन्द्र सिंह, चालक	61,647.00
8	श्री नरेश कुमार, चालक	4,491.00
9	श्री सुरेन्द्र कुमार, चालक	(-) 10,529.00
10	श्री दुर्गा दास, चालक	1,21,789.00
11	श्री राजेन्द्र पाल, चालक	13,981.00
12	श्री सुनील कुमार, क्लीनर	13,981.00
13	मै0 शर्मा एण्ड को0 शिमला	306.00
14	श्री जगदीप कुमार चालक	47,352.00
15	डप नियंत्रक पी0एण्ड एस0 खाता	783.00

कुल योग ₹385,988.40

अतः अधिशाषी अभियन्ता उक्त अग्रिम राशियों का समयबध समायोजन हेतु उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 संविदाकारों से राशि ₹20.99 लाख के सुरक्षित अग्रिमों की वसूली शेष

विद्युत मण्डल शिमला द्वारा बिजली निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु संविदाकारों को सुरक्षित अग्रिम राशियों के रूप में किए भुगतान में से दिनांक 31.3.2015 तक ₹20,99,624 की राशि वसूली हेतु शेष थी। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है। इसमें से कुछ एक संविदाकारों को लगभग 8-9 वर्ष पहले सुरक्षित अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था परन्तु अभी तक इन राशियों का समायोजन/वसूली नहीं की गई। इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में बार-बार आपत्तियाँ उठाई गई थी। अतः सुरक्षित अग्रिम राशियों की वसूली संविदाकारों/उचित स्रोत से यथाशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध संख्या	राशि (₹) में
1	मै0 कालरा हार्डवेयर एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स स्टोर, शिमला	5 वर्ष 2004-05	50,145.00

2	मै0 चढा एण्ड कम्पनी सोलन	13 वर्ष 2011-12	6,74,646.00
		9 वर्ष 2011-12	1,90,800.00
3	मै0 कुमार इलैक्ट्रॉनिक्स ऊना	12 वर्ष 2010-11	2,82,081.00
		15 वर्ष 2010-11	5,33,739.00
		17 वर्ष 2012-13	3,66,413.00
4	मै0 इलैक्ट्रॉनिक्स ट्रेडरज़ रामपुर	22 वर्ष 2014-15	1,800.00
कुल योग			₹20,99,624.00

6 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से निक्षेप कार्यों के लिए जमा राशि ₹51,37.33 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना

विद्युत मण्डल शिमला द्वारा कार्यों "प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल इलैक्ट्रीकल इन्स्टालेशन" के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास दिनांक 31.3.2015 तक ₹51,37,33,148 की राशि जमा करवाई गई थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है लेकिन अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए यद्यपि इन जमा राशियों से अधिकांश निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। जिन्हें अब प्राप्त करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त यदि हिमाचल प्रदेश राजस्व विद्युत बोर्ड के पास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कोई राशि शेष रहती है तो उसे वापिस लिया जाना सुनिश्चित किया जाए। पूर्ण किए गए कार्य क्या प्रस्तुत प्राक्कलन जिसके आधार पर राशि जमा करवाई गई थी के अनुरूप थे, के बारे में विभागीय जाँच करवाना सुनिश्चित करें। यदि प्रस्तुत प्राक्कलन व वास्तव में किए गए कार्य में कोई विचलन हो तो इस विचलन का कार्य के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन विभागीय तौर पर करवाना सुनिश्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 संविदाकार को ₹4,63,200 की राशि का भुगतान कार्य समाप्ति से पूर्व करने बारे

कार्य का नाम	C/o Integrated Township at Mandhala Distt. Solan H.P. (SH. Supply, Installation, Testing and Commissioning of 1 No. thirteen passenger elevator in 10 Nos. Cat-II flats)
फर्म का नाम	M/S Orbis Elevator Co. Ltd. Ahmedabad-380061
Awarded Amount	₹23,16,000 (-) 3.50% below the amount put to tender
आबंटन की तिथि	31.1.2014

आरम्भ करने की तिथि	14.2.2014
पूर्ण करने का समय	छः माह
माप पुस्तिका संख्या	229/11 पृष्ठ-39 से 42
वाऊचर संख्या:	30 माह 12/2014 राशि ₹4,63,200

7.1 कार्य आबंटन संख्या: HB-PP-& E/W-7/2010-2455-60, दिनांक 31.1.2014 की शर्त संख्या: 5 के अनुसार फर्म को निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना अपेक्षित था :-

(a) 75% of contract, value, against material deliver at site.

(b) 25% of the contract, value after completion, installations and testing of the work.

अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकार को द्वितीय चलत बिल तक ₹22,00,200 की राशि का भुगतान किया जा चुका था जो अवार्ड राशि का 95 प्रतिशत बनता है। शेष 5 प्रतिशत की राशि लिफ्ट की जाँच/अन्य विविध कार्य के भुगतान हेतु लम्बित रखी थी। जबकि 75 प्रतिशत राशि का भुगतान तथा 25 प्रतिशत राशि लम्बित रखी जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार संविदाकार को 20 प्रतिशत राशि (95-75) ₹4,63,200 का अधिक भुगतान कार्य समाप्ति से पूर्व किया गया था जोकि उक्त शर्त के अनुसार अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 4, दिनांक 10.12.2015 द्वारा हिमुडा विद्युत मण्डल कसुम्पटी को औचित्य स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे में कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। चूंकि आबंटित कार्य वर्तमान तक पूर्ण नहीं हुआ है, अतः संविदाकार को कार्य समाप्ति से पूर्व ₹4,63,200 की राशि के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.2 माप पुस्तिका संख्या: 229/11, पृष्ठ-39 से 42 के अनुसार कार्य को 14.2.2014 को आरम्भ किया था तथा कार्य आबंटन की शर्त के अनुसार यह कार्य 13.8.2014 को पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 9.9.2014 तक द्वितीय चलत बिल के अनुसार ₹22,00,200 की राशि का कार्य किया जा चुका था। इस कार्य में न तो समय अवधि में बढौतरी की गई और न ही संविदाकार को अनुबन्ध की धारा दो के तहत आबंटित राशि पर 10 प्रतिशत की दर से जुर्माना अधिरोपित किया था जोकि उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 4, दिनांक 10.12.2015 द्वारा हिमुडा विद्युत मण्डल कसुम्पटी को औचित्य स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे में कोई भी

प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः संविदाकार से जुर्माने की राशि प्राप्त न करने बारे तथ्यों सहित औचित्य लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाए।

8 संवैधानिक कटौतियों की राशि ₹2.22 लाख की वसूली न करने बारे

कार्य का नाम	Construction of State Data Centre at Mehli Shimla (SH. Supply, Installation, Testing and Commissioning of 1 No. ten passenger Gen-2 comfort elevators without machine room with 5 years annual repair & maintenance.)
फर्म का नाम	M/S Otis Elevator Company (India) Ltd. (Northern Region) 504-505 Rectangle one D-4, Saket District centre Saket New Delhi-17
अनुबन्ध संख्या	6 वर्ष 2014-15
एम0बी0 संख्या	242/2014 पृष्ठ-1 से 3
Awarded Amount	₹27,11,850.00
आबंटन पत्र संख्या	HB-PP & E/W-7/2010-786-91, dated 1-7-2014
आरम्भ करने की तिथि	14.2.2014
पूर्ण करने का समय	तीन माह
माप पुस्तिका संख्या	229/11 पृष्ठ-39 से 42
वाञ्छित संख्या:	80 माह 12/2014, राशि ₹20,33,888.00

Supply, Installation, testing and commissioning of 1 No. ten passenger Gen-2 comfort elevators without machine room with 5 years annual repair & maintenance के कार्य का आबंटन M/S Otis Elevator Company (India) Ltd. को आबंटन पत्र संख्या: HB-PP & E/W-7/2010-786-91 दिनांक 1.7.2014 द्वारा किया गया था। उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रथम चलत बिल द्वारा awarded amount ₹27,11,850 की 75 प्रतिशत राशि ₹20,33,888 का भुगतान उक्त फर्म को दिनांक 23.12.2014 को किया गया था। संविदाकार के उक्त प्रथम चलत बिल में से ₹2,22,109 की राशि की संवैधानिक कटौतियाँ जैसे कि प्रतिभूति राशि, बिक्री कर, आयकर, आयकर पर सैस तथा लेबर सैस की कटौती नहीं थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

1	प्रतिभूति राशि	1,19,194.00
2	बिक्री कर	40,678.00
3	आयकर	40,678.00
4	आयकर सैस	1,220.00
5	लेबर सैस	20,339.00
योग		2,22,109.00

संविदाकार के उक्त बिल में से संवैधानिक कटौतियाँ न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 5, दिनांक 10.12.2015 द्वारा हिमुडा विद्युत मण्डल कसुम्पटी को औचित्य स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे में कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः प्रथम चलत बिल से संविदाकार से ₹2,22,109 की राशि की संवैधानिक कटौतियाँ न करने बारे तथ्यों सहित औचित्य लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाए।

8.1 अवार्ड पत्र की शर्त संख्या: 8 के अनुसार अवार्ड पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर नॉन जुडिशियल पेपर ₹15 पर फर्म को अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना अनिवार्य था। अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि उक्त फर्म को प्रथम चलत बिल का भुगतान दिनांक 23.12.2014 को किया था तथा अनुबन्ध दिनांक 24.2.2015 को हस्ताक्षरित किया था। इस प्रकार अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने से पूर्व प्रथम चलत बिल ₹20,33,888 की राशि का भुगतान फर्म को करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 5, दिनांक 10.12.2015 द्वारा हिमुडा विद्युत मण्डल कसुम्पटी को औचित्य स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे में कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अनुबन्ध हस्ताक्षरित किए बिना संविदाकार को भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाए।

9	निर्माण कार्य का नाम	“C/o Partially self financing scheme at Sanjauli Shimla-6 (Sh: Supply of material for pdg. Int.E.I to 21 Nos. cat-I flats in Block No. 33, 35, 36 & 37
	संविदाकार का नाम	श्री प्रकाश चन्द शर्मा
	Awarded Amount	₹7,69,839
	अनुबन्ध संख्या	13, ऑफ 2012—13

कार्य करने का समय	दो माह
माप पुस्तिका संख्या	235 / 13, पृष्ठ 92 से 97
वाऊचर संख्या	53, माह 12 / 2014, राशि ₹1,34,291

उक्त कार्य को पत्र संख्या HB-PP&E/W-7/2010-1485-90, dated 21-8-2012 की शर्त संख्या: 4 के अनुसार संविदाकार को कार्य आबंटन की तिथि से 15 दिनों के भीतर जॉन जुडिशियल पेपर ₹15 पर अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना अपेक्षित था परन्तु उक्त संविदाकार ने अनुबन्ध 21.12.2013 के उपरान्त हस्ताक्षरित किया था जोकि उक्त शर्त के अनुसार उचित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी हैं अतः संविदाकार द्वारा अनुबन्ध की उक्त शर्त के अनुसार कार्य आबंटन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अनुबन्ध हस्ताक्षरित न करने का औचित्य लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाए।

10 वाहनों की ईंधन खपत निर्धारित माप दण्डों से कम होने के फलस्वरूप ₹1,74,883.42 की वित्तीय हानि

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या जी0ए0डी0-ए(डी)-1-98, दिनांक 21.1.1997, जी0ए0डी0-ए(डी)-1-1/96, दिनांक 4.2.2006 तथा जी0ए0डी0-ए(डी)-1-1/96-1, दिनांक 14.7.2014 द्वारा विभिन्न वाहनों की पेट्रोल/डीजल की औसत खपत प्रति लीटर किलोमीटर निम्न प्रकार निर्धारित की गई है।

वाहन	स्थानीय यात्रा प्रति लीटर	लम्बी दूरी की यात्रा प्रति लीटर
टोयटा ऐनोवा (डीजल)	07.24 किलोमीटर	10.02 किलोमीटर
मारुति एस0एक्स 4	08.35 किलोमीटर	9.10 किलोमीटर
महिन्द्रा स्कोरपियो	06.28 किलोमीटर	9.22 किलोमीटर
मारुति-800	11.60 किलोमीटर	14.00 किलोमीटर
एसटीम एल0एक्स	09.00 किलोमीटर	10.00 किलोमीटर

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित वाहनों की औसत प्रति लीटर किलोमीटर के उपरोक्त मापदण्ड न केवल हिमाचल प्रदेश के अन्य विभागों/बोर्डों इत्यादि की भान्ति हिमुडा के वाहनों पर भी अक्षरशः लागू होते हैं अपितु इन माप दण्डों को लागू करने के लिए सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमुडा द्वारा भी अनुदेश जारी किए गए हैं। इन अनुदेशों की पालना न होने की स्थिति में ईंधन की अधिक खपत की अवस्था से सम्बन्धित चालकों से वसूली की जानी अपेक्षित थी, इस बारे आपत्ति को बार-बार गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा हिमुडा प्रबन्धन के ध्यान में लाया गया था परन्तु इस मामले में कोई भी अपेक्षित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई

जिसके फलस्वरूप तेल की अधिक खपत के कारण वाहन चालकों के विरुद्ध अनावश्यक वसूली में बढ़ौतरी हो रही है। यह प्रकरण सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमुडा के विशेष ध्यानार्थ लाते हुए यह भी परामर्श दिया जाता है कि जो वाहन बहुत पुराने हैं और तेल की खपत सरकार द्वारा जारी निर्देशों में दिए मापदण्डों के अनुसार नहीं आ रही हैं उन वाहनों की तेल खपत की औसत का निर्धारण सक्षम अधिकारी से करवाने के उपरान्त तेल खपत अनुसार आगामी कार्यवाही शीघ्र करें। जिन वाहनों की ईंधन की खपत निर्धारित मापदण्डों से कम पाई गई है का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वाहन संख्या: एच0पी0-03बी-744 एस्टीम

माह के दौरान तय दूरी			सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर जितने तेल की खपत				माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर	राशि (₹) में
माह	लम्बी दूरी	स्थानीय यात्रा की तय दूरी	कुल तय दूरी	लम्बी यात्रा पर तेल खपत	स्थानीय तेल खपत	यात्रा पर कुल खपत				
6 / 14	1360	530	1890	136	58.88	194.88	202	7.11	74.38	528.84
9 / 14	1231	588	1819	123.1	65.33	188.43	194	5.56	72.92	405.43
10 / 14	1496	416	1912	149.6	46.22	195.82	199	3.17	70.27	222.75
									योग	1157.02

वाहन संख्या: एच0पी0-07(ए)-9900 (स्कोरपियो)

माह के दौरान तय दूरी			सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर जितने तेल की खपत				माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर	राशि (₹) में
माह	लम्बी दूरी	स्थानीय यात्रा की तय दूरी	कुल तय दूरी	लम्बी यात्रा पर तेल खपत	स्थानीय तेल खपत	यात्रा पर कुल खपत				
4 / 14	2243	94	2337	243.27	14.96	258.23	310	51.77	55.54	2875.30
5 / 14	2054	151	2205	222.77	24.04	246.81	210	63.19	55.53	3508.94
6 / 14	2740	390	3130	297.18	62.10	359.28	442	82.72	56.73	4693.25
7 / 14	2586	430	3016	280.40	68.47	348.94	417	68.06	57.18	3894.67
8 / 14	2533	473	3006	274.72	75.31	350.03	410.20	60.17	58.09	3495.27

9 / 14	1590	559	2149	172.45	89.01	261.46	285.94	24.48	58.27	1426.44
10 / 14	1578	266	1844	171.14	42.35	213.49	256.26	42.77	54.99	2351.92
11 / 14	1905	428	2333	206.61	68.15	274.76	311.10	36.34	52.86	1920.93
12 / 14	3211	450	3661	348.26	71.65	419.91	474.36	54.45	49.61	2701.26
1 / 15	3452	432	3884	374.40	68.78	443.18	482.57	39.39	48.88	1925.38
2 / 15	1772	323	2095	192.19	51.43	243.62	256.47	21.85	46.61	1018.42
3 / 15	2627	692	3319	284.92	110.19	395.11	433.63	38.52	49.62	1911.36
योग										31723.14

वाहन संख्या: एच0पी0-07-0592 (एस्टीम)

माह के दौरान तय दूरी		सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर जितने तेल की खपत					माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर	राशि (₹) में
माह	लम्बी दूरी	स्थानीय यात्रा की तय दूरी	कुल तय दूरी	लम्बी यात्रा पर तेल खपत	स्थानीय तेल खपत	यात्रा पर कुल खपत				
4 / 14	1735	304	2039	173.5	33.5	207.27	215.33	8.06	75.94	612.07
5 / 14	1787	418	2205	178.7	46.44	225.14	239.88	14.74	74.38	1096.36
6 / 14	890	186	1076	89	20.66	109.66	113.88	4.22	75.07	316.79
7 / 14	1330	452	1782	133	50.22	183.22	193.88	10.66	76.32	813.57
8 / 14	1601	312	1913	160.1	34.66	194.76	208.88	14.12	73.01	1030.90
9 / 14	1704	457	2161	170.4	50.77	221.17	236	14.83	71.33	1057.82
10 / 14	1553	251	1804	155.3	27.88	183.18	201.2	18.02	70.73	1274.55
11 / 14	2756	108	2864	275.6	12	287.6	312.33	24.73	67.68	1673.72
12 / 14	475	382	857	47.5	42.44	89.94	81	—	—	—
1 / 15	1072	509	1581	107.2	56.55	163.75	165.33	1.58	64.92	102.57
2 / 15	2240	277	2517	224	30.77	254.77	272.44	17.67	62.06	1096.60
3 / 15	855	356	1211	85.5	39.55	125.05	129.11	4.06	64.11	260.28
योग										9335.23

वाहन संख्या: एच0पी0-63(ए)-0607 (मारुति कार)

माह के दौरान तय दूरी		सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर जितने तेल की खपत					माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर	राशि (₹) में
माह	लम्बी दूरी	स्थानीय यात्रा की तय दूरी	कुल तय दूरी	लम्बी यात्रा पर तेल खपत	स्थानीय तेल खपत	यात्रा पर कुल खपत				
5 / 14	285	12	297	20.35	1.03	21.38	28	6.62	75.09	497.09
6 / 14	806	32	838	57.57	2.75	60.32	78	17.68	74.96	1325.29
7 / 14	599	24	623	42.78	2.06	44.84	54	9.15	77.38	708.02
8 / 14	1638	717	2355	117.00	61.81	178.81	231	52.19	73.98	3861.01
9 / 14	1917	80	1997	136.92	6.89	143.81	182	38.18	72.09	2752.39
10 / 14	1890	20	1910	135	1.72	136.72	177.87	41.15	71.03	2922.88
11 / 14	2415	58	2473	172.5	5	177.5	233	55.5	68.74	3815.07
12 / 14	1784	86	1870	127.42	7.41	134.83	177	42.17	65.67	2769.30
1 / 15	2336	58	2394	166.85	5	171.85	208	36.15	63.11	2281.42
2 / 15	2904	60	2964	207.42	5.17	212.59	269.88	57.28	62.33	3570.26
3 / 15	1155	107	1262	82.5	9.22	91.72	105	13.28	64.75	859.88
योग									25362.61	

वाहन संख्या: एच0पी0-07-(सी)-0022 (एस0एक्स-IV)

माह के दौरान तय दूरी		सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर जितने तेल की खपत					माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर	राशि (₹) में
माह	लम्बी दूरी	स्थानीय यात्रा की तय दूरी	कुल तय दूरी	लम्बी यात्रा पर तेल खपत	स्थानीय तेल खपत	यात्रा पर कुल खपत				
7 / 14	805	323	1128	88.46	38.68	127.14	130.83	3.69	79.00	291.51
8 / 14	821	196	1017	90.21	23.47	113.68	119.10	5.42	75.45	408.93
9 / 14	1192	374	1566	130.98	44.79	175.77	183.84	8.07	71.33	575.63
10 / 14	594	205	799	65.27	24.55	89.82	94.50	4.68	71.33	333.82

11 / 14	684	514	1198	75.16	61.55	136.71	145	8.29	68.46	567.53
12 / 14	528	406	934	58.02	48.62	106.64	123	16.36	59.80	978.32
1 / 15	543	381	924	59.67	45.62	105.29	101.23	—	—	—
2 / 15	859	405	1264	94.39	48.50	142.89	148.59	5.7	59.80	340.86
3 / 15	612	827	1439	67.25	99.04	166.29	168.43	2.14	63.94	136.83
									योग	3633.43

वाहन संख्या: एच0पी0-68-0001 (इनोवा)

माह के दौरान तय दूरी			सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर जितने तेल की खपत				माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर	राशि (₹) में
माह	लम्बी दूरी	स्थानीय यात्रा की तय दूरी	कुल तय दूरी	लम्बी यात्रा पर तेल खपत	स्थानीय तेल खपत	यात्रा पर कुल खपत				
9 / 14	6660	412	7072	664.67	56.90	721.57	914	192.42	58.97	11347.00
10 / 14	6664	244	6908	665.06	33.70	698.76	844	145.23	58.97	8564.21
12 / 14	4652	16	5068	464.27	57.45	521.72	620	98.28	50.10	4923.82
1 / 15	5289	319	5608	527.84	44.06	571.90	616	44.1	47.89	2112.10
2 / 15	4030	236	4266	402.19	32.59	434.78	549	114.22	47.73	5452.10
3 / 15	5194	908	6102	518.36	125.41	643.77	704	60.23	50.8	3059.68
									योग	35458.91

वाहन संख्या: एच0पी0-68(ए)-0012 (इनोवा)

माह के दौरान तय दूरी			सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर जितने तेल की खपत				माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर	राशि (₹) में
माह	लम्बी दूरी	स्थानीय यात्रा की तय दूरी	कुल तय दूरी	लम्बी यात्रा पर तेल खपत	स्थानीय तेल खपत	यात्रा पर कुल खपत				
5 / 14	2520	394	2914	251.49	54.41	305.90	420	114.09	54.89	6260.11
6 / 14	5509	696	6205	549.80	96.13	645.93	804	158.07	56.61	8948.34

7 / 14	5075	761	5836	506.48	105.11	611.59	811	199.40	57.18	11401.69
8 / 14	5299	856	6155	528.84	118.23	647.07	724	76.92	57.72	4439.82
9 / 14	1833	759	2984	182.93	104.83	287.76	298	10.24	58.71	601.19
10 / 14	1534	350	1884	153.09	48.34	201.43	221	19.57	55.35	1083.19
11 / 14	1974	720	2694	197.00	99.44	296.44	315	18.56	52.60	976.25
12 / 14	1327	842	2169	132.43	116.29	248.72	257	8.27	49.52	409.61
1 / 15	1477	298	1775	147.40	41.16	188.56	215	26.43	50.45	1333.39
										योग 35433.59

वाहन संख्या: एच0पी0-51(ए)-0024 (इनोवा)

माह के दौरान तय दूरी		सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर जितने तेल की खपत					माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर	राशि (₹) में
माह	लम्बी दूरी	स्थानीय यात्रा की तय दूरी	कुल तय दूरी	लम्बी यात्रा पर तेल खपत	स्थानीय तेल खपत	यात्रा पर कुल खपत				
5 / 14	1873	474	2347	186.92	65.46	252.38	276	23.62	56.42	1332.64
6 / 14	2486	469	2955	248.10	64.77	312.87	349	36.13	57.06	2061.57
7 / 14	1704	742	2446	170.05	102.48	272.53	294	21.47	57.60	1236.67
8 / 14	2845	653	3498	283.93	90.19	374.12	469	94.88	58.09	5511.57
9 / 14	2089	125	2214	208.48	17.26	225.74	299	73.25	58.27	4268.27
10 / 14	415	195	610	41.41	26.93	68.34	90	21.66	57.82	1252.38
11 / 14	1480	379	1859	147.70	52.34	200.04	260	59.95	53.70	3219.31
12 / 14	3260	490	3750	325.34	67.67	393.01	471	77.99	5078	3960.33
1 / 15	1108	763	1871	110.57	105.38	215.95	256	40.05	48.70	1950.43
2 / 15	797	309	1106	79.54	42.67	122.21	195	72.79	46.94	3416.76
3 / 15	1977	94	2071	197.30	12.98	210.28	301	90.72	50.37	4569.56
										योग 32779.49

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 6, दिनांक 14.12.2015 द्वारा ईंधन की खपत निर्धारित मापदण्डों से कम होने बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु लेखा परीक्षा की

समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः ईंधन की खपत निर्धारित मापदण्डों से कम होने बारे वास्तविक स्थिति की जांच करवाई जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.1 वाहनों में निर्धारित माप दण्डों से अधिक ईंधन डलवाने के फलस्वरूप ₹6,264.48 का अनियमित व्यय

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन-1-(सी)14-1-92-Voll, दिनांक 27.5.2006 द्वारा सरकार ने राज्य मुख्यालय शिमला के वाहनों के लिए प्रत्येक वाहन हेतु 70 लीटर ईंधन की सीमा स्थानीय यात्रा हेतु निर्धारित की है। निम्नलिखित वाहनों की लॉग बुकों के अवलोकन करने पर पाया कि इन वाहनों में 70 लीटर से अधिक पेट्रोल/डीजल स्थानीय यात्रा के लिए भरा गया था जोकि उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित नहीं है :-

Sr. No.	Vehicle No.	Month	Fuel Consumed at Local Journey	Fuel admissible for local Journey	Excess consumed	Rate	Total recovery
1	HP-07A-9900	8/2014	75.31	70	5.31	58.09	308.45
		9/2014	89.01	70	19.01	58.27	1107.71
		12/2014	71.65	70	1.65	49.61	81.65
						Total	1497.81
2	HP-51A-0024	7/2014	102.48	70	32.48	57.60	1870.84
		8/2014	90.19	70	20.19	58.09	1172.83
		1/2015	105.38	70	35.38	48.70	1723.00
						Total	4766.67
						G.Total	6264.48

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 7, दिनांक 17.12.2015 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ईंधन भरवाने का औचित्य लेखा परीक्षा को स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु लेखा परीक्षा समाप्त होने तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः ₹6,264.48 की राशि का ईंधन निर्धारित सीमा से अधिक भरवाने का औचित्य लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना लेखा परीक्षा दिखाई जाए।

10.2 वाहन की लॉग बुक में अधिकारियों द्वारा सरकारी कार्य (Official) दर्शाकर वाहन का उपयोग करने बारे

विद्युत मण्डल, हिमुडा शिमला के लेखों अवधि 4/14 से 3215 तक के अंकेक्षण के दौरान वाहनों की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि हिमुडा अधिकारियों द्वारा वाहन का प्रयोग

करने के उपरान्त वाहन की लॉग बुक में कॉलम संख्या 9 यात्रा का उद्देश्य में केवल सरकारी (Official) दर्शाया गया था जबकि लॉग बुक के कॉलम यात्रा का उद्देश्य (यदि यात्रा सरकारी हो पूरा विवरण) दिया जाना अपेक्षित था। अतः अधिकारियों द्वारा वाहन की लॉग बुक में केवल यात्रा का उद्देश्य सरकारी (Official) दर्शाकर वाहन के दुरुपयोग की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और यात्रा का उद्देश्य सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सरकारी (Official) के स्थान में स्पष्ट विवरण दिया जाये ताकि सरकारी वाहन से की यात्रा/उपयोग की वास्तविक वस्तुस्थिति सुनिश्चित हो सके जिन वाहनों की लॉग बुकों में अधिकारियों द्वारा यात्रा का उद्देश्य केवल सरकारी (Official) दर्शाया है उनमें से कुछ एक उदाहरण निम्न प्रकार से है :-

वाहन संख्या	दिनांक	यात्रा जिस अधिकारी द्वारा की गई	यात्रा जहाँ तक की	कि०मी०
HP-03-(B)-0744	1-4-14	S.E.(S)	N.Vihar to Distt. Court Back to SDA to DC office back to SDA to N.Vihar	77 KM
	2-4-14	S.E.(S)	Office to Sanjauli coloney back to chhabrotito N. Vihar	33 KM
	3-4-14	S.E.(S)	Office to Mehli I.T. back to N.Vihar to office	24 KM
	4-4-14	S.E.(S)	Office to Kandaghat local back to Shimla SDA to N. Vihar	86 KM
	10-4-14	S.E.(S)	Office to N. Vihar to office New Shimla back to N. Vihar	25 KM
	11-4-14	S.E.(S)	Office to N. Vihar to SDA Complex to M.C. Office back to office	28 KM
	16-4-14	S.E.(S)	Shimla to Parwanoo Local to Baddi Local back Parwanoo	164 KM
	17-4-14	S.E.(S)	Parwanoo to Shimla to H.P. Sectt. To office to H.Q. to office	143 KM
	21-4-14	S.E.(S)	Shimla to Solan (Basal Local) to Shimla	139 KM
	22-4-14	S.E.(S)	Office to D.C. office to office S/Court back to office	86 KM

HP-07(A)-0592	24-4-14	S.E.(S)	Office to N/Vihar to office to H.P. Sectt. to BCS to office to D.C. office to back office	56 KM
	25-4-14	S.E.(S)	Office to Dhali Coloney to housing Sanjauli back to office	45 KM
	26-4-14	S.E.(S)	Office to Bus Stand (Lal Pani) to H.Q. to office H.P. Sectt. to office.	42 KM
	1-12-14	Sr. Architect	Office to D.C. Office to New Shimla & back office to Bus Stand to Jakhu coloney and back to Nigam Vihar	28 KM
	3-12-14	Sr. Architect	N. Vihar to Solan, Solan Local and back to N.Vihar	136 KM
	4-12-14	Sr. Architect	Office to Sanjauli Coloney and back	29 KM
	5-12-14	Sr. Architect	Office to Kasumpti Coloney to M.C. office and back	22 KM
	6-12-14	Sr. Architect	Office to New Shimla Sector-VI to P& CP office and back	24 KM
	8-12-14	Sr. Architect	N.Vihar to HIPA to Nigam Vihar	38 KM
	9-12-14	Sr. Architect	N.Vihar to HIPA to Nigam Vihar	38 KM
	17-12-14	Sr. Architect	Office to I.T. Centre t Chhabroti back office to T.C.P back office	32 KM
	18-12-14	Sr. Architect	Office to D.c. office to Jakhu back office to H.P. Sectt. back office	28 KM
	19-12-14	Sr. Architect	Office Sector-VI New Shimla back I.V.P. back office Shimla local	38 KM
	26-12-14	Sr. Architect	Office to M.C. Office to Ph-III back office	32 KM

27-12-14	Sr. Architect	Office to Sanjauli Coloney back office Solan, Basal local back Shimla	188 KM
30-12-14	Sr. Architect	Office to DC office to Chhabroti back office	26 KM

11 विविध

(क) वार्षिक वेतन वृद्धि की गलत गणना के कारण ₹3,926 की राशि का अधिक भुगतान

(1) श्रीमती तृप्ता डोगरा, आशुटंकक को वार्षिक वेतन वृद्धि की गलत गणना करने के कारण अवधि 3/2015 से 11/2015 तक ₹189 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली अंकेक्षण के दौरान माह 12/2015 देय 1/2016 के वेतन से कर ली है।

(2) श्रीमती पूजा ठाकुर, लिपिक को वार्षिक वेतन वृद्धि की गलत गणना करने के कारण अवधि 10/2014 से 7/2015 तक ₹3,737 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली अंकेक्षण के दौरान माह 12/2015 देय 1/2016 के वेतन से कर ली है।

12 Trial Balance और Ledger में अंकित आंकड़ों में ₹4219 के अन्तर बारे

माह 3/2015 के Trial Balance और Ledger का अवलोकन करने पर पाया कि हाऊसिंग कलौनी कण्डाघाट के निम्नलिखित मद में Trial Balance और Ledger में अंकित आंकड़ों में ₹4219 का अन्तर पाया था :—

Sr. No.	Particulars	Balance as per Trial Balance	Balance as per Ledger	Difference
1	C/O Garages and Shops at Kandaghat (Pdg. Int.E.I.)	10,684-00	6465-00	4219-00

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 8, दिनांक 21.12.2015 द्वारा संस्था को वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः उक्त अन्तर की राशि की संस्था स्तर पर पूर्ण छान-बीन उपरान्त उक्त त्रुटि का समाधान किया जाए और की गई कार्यवाही से लेखा परीक्षा को सूचित किया जाए।

13 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971—खण्ड—1 के नियम 15.17 के अनुसार स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्ष में एक बार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु हिमुडा विद्युत मण्डल द्वारा

खरीदी गई सामग्री का प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification of Store) 2013-14 के उपरान्त नहीं करवाया गया था, जोकि उक्त नियमानुसार उचित नहीं था। अतः स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष में एक बार स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- 14 लघु आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर कर दिया गया, इसे अलग से जारी नहीं किया गया।
- 15 निष्कर्ष :-** वर्तमान व गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कारगर कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

हस्ता/-
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

पृष्ठांकन संख्या: (एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)135/90-खण्ड-7, 2056-2058 दिनांक 08.04. 2016, शिमला-9

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
- 2 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम विहार, शिमला-2
- पंजीकृत** 3 अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल शिमला-9 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई उचित कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 1(ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटान में की गई कार्यवाही के उपरान्त अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

- 1) पैरा 15 अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96

- 1) पैरा 22 अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

- 1) पैरा 29 अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99

- 1) पैरा 23 अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000

- 1) पैरा 18 अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

- 1) पैरा 11 अनिर्णीत
2) पैरा 29 अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

- 1) पैरा 15 अनिर्णीत
2) पैरा 26 अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

- 1) पैरा 23 अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

- 1) पैरा 15 अनिर्णीत
2) पैरा 17 अनिर्णीत
3) पैरा 20 अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

- 1) पैरा 10(क) से (ड) अनिर्णीत
2) पैरा 18 अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

- 1) पैरा 6 अनिर्णीत
- 2) पैरा 8 अनिर्णीत
- 3) पैरा 9 अनिर्णीत
- 4) पैरा 12 अनिर्णीत
- 5) पैरा 14 अनिर्णीत

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

- 1) पैरा 8 अनिर्णीत
- 2) पैरा 12 अनिर्णीत

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

- 1) पैरा 8 अनिर्णीत
- 2) पैरा 10 अनिर्णीत
- 3) पैरा 11(क) अनिर्णीत
- 4) पैरा 13 अनिर्णीत

(14) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

- 1) पैरा 7 अनिर्णीत
- 2) पैरा 8 अनिर्णीत
- 3) पैरा 9 अनिर्णीत
- 4) पैरा 10 अनिर्णीत
- 5) पैरा 11 अनिर्णीत
- 6) पैरा 12(क, ख, ग, घ) अनिर्णीत

(15) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

- 1) पैरा 6 अनिर्णीत
- 2) पैरा 7 अनिर्णीत
- 3) पैरा 8 अनिर्णीत
- 4) पैरा 10 अनिर्णीत
- 5) पैरा 11 अनिर्णीत
- 6) पैरा 12 अनिर्णीत
- 7) पैरा 13 अनिर्णीत
- 8) पैरा 16 अनिर्णीत

(16) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

- 1) पैरा 7(1 से 5) अनिर्णीत

- | | | |
|----|---------|----------|
| 2) | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 3) | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 4) | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 5) | पैरा 11 | अनिर्णीत |

(17) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

- | | | |
|----|----------------|----------|
| 1) | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 2) | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 3) | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 4) | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| 5) | पैरा 12(1 व 2) | अनिर्णीत |

(18) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

- | | | |
|----|-----------------|----------|
| 1) | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 2) | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 3) | पैरा 10(1 से 4) | अनिर्णीत |
| 4) | पैरा 11 | अनिर्णीत |

(19) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

- | | | | |
|-----|----------------|----------|--|
| 1) | पैरा 3 | निर्णीत | |
| 2) | पैरा 4(क) | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में वर्णित) |
| 3) | पैरा 4(ख) | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में वर्णित) |
| 4) | पैरा 5 | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में वर्णित) |
| 5) | पैरा 6 | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में वर्णित) |
| 6) | पैरा 7(1 से 4) | अनिर्णीत | |
| 7) | पैरा 8 | अनिर्णीत | |
| 8) | पैरा 9 | अनिर्णीत | |
| 9) | पैरा 10 | निर्णीत | (दिए गए उत्तर व लॉग बुक में प्रविष्टि करने पर) |
| 10) | पैरा 10(ख) | निर्णीत | (दिए गए उत्तर व लॉग बुक में प्रविष्टि करने पर) |